(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14 (17)/LA-2003/ 783 Dated: 23-12-04

NOTIFICATION

No.F.14 (17)/LA-2003 – The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 17th December, 2004 and is hereby published for general information: -

"THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2004"
(DELHI ACT 7 OF 2004)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 28th July, 2004).

[17th December, 2004]

An Act to further amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 98.-** In the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) hereafter referred to as "the principal Act"), in section 98, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) No regulation under clause (c) of sub-section (1) for category 'A' and category 'B' posts shall be made except after consultation with the Commission and for category 'C' posts except with the prior approval of the Government."

DVS

3. **Amendment of section 113.-** In the principal Act, in section 113, in sub-section(1), for clause (f), the following shall be substituted, namely:-

"(f) a tax on building applications payable along with the application for sanction of the building plan."

4. **Amendment of section 149.-** In the principal Act, in section 149,

(i) for the Chapter sub-heading reading as "Tax on buildings payable along with the application for sanction of building plans", the following shall be substituted, namely:-

"Tax on building applications payable along with the application for sanction of building plans";

(ii) for sub-section(1), the following shall be substituted, namely:-

> "(1) Save as otherwise provided in this Act, the Corporation shall levy a tax on building applications at the rate of five rupees per square metre of the total covered area proposed to be built on a plot measuring up to fifty square metres and ten rupees per square metre of the total covered area proposed to be built on a plot exceeding fifty square metres in area."

5. **Amendment of section 417.-** In the principal Act, in section 417, the proviso to sub-section (3) shall be omitted.

6. **Omission of the Sixth Schedule.-** In the principal Act, the Sixth Schedule shall be omitted.

23/12/04

(V.K. Bansal)
Joint Secretary) Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग -4 में प्रकाशनार्थ)
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14(17)/एल.ए.-2003/ 783 दिनांक 23/12/04

अधिसूचना

संख्या फा0 14 (17)/एल.ए. -2003/ :- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है तथा एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

"दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004" (2004 का दिल्ली अधिनियम 7)
(17 दिसम्बर, 2004)

(28 जुलाई, 2004 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यथापारित)

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में पुनः संशोधन करने के लिए एक अधिनियम

इसे भारतीय गणतंत्र के पचपनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) इसे दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाए !

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा !

2. धारा 98 का संशोधन :-

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) (इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 98 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात :-

" (2) श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ख' के पदों के लिए उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत कोई भी विनियम आयोग से परामर्श के उपरांत ही बनाया जाएगा तथा श्रेणी 'ग' के पदों के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं ! "

3. धारा 113 का संशोधन :-

मूल अधिनियम की धारा 113 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात

"(च) भवन मानचित्र की स्वीकृति के आवेदन पत्र के साथ भवन आवेदन-पत्रों पर देय कर"

4. धारा 149 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 149 में,

(i) अध्याय उप-शीर्षक के "अध्याय उप-शीर्षक भवन मानचित्रों की स्वीकृति के आवेदन-पत्र के साथ देय भवनों पर कर" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात :-

"भवन मानचित्रों की स्वीकृति के आवेदन पत्रों के साथ भवन आवेदन-पत्रों पर देय कर"

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

" (1) इस अधिनियम में कुछ भी रहते हुए, निगम पचास वर्ग मीटर के परिमाप वाले किसी भू-खंड पर निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के कुल आच्छादित क्षेत्र पर पाँच रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से तथा पचास वर्ग मीटर के परिमाप से अधिक वाले किसी भू-खंड पर निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के कुल आच्छादित क्षेत्र पर दस रूपये पर प्रति वर्ग मीटर की दर से भवन आवेदन पत्र पर कर वसूल करेगी ! "

5. धारा 417 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 417 की उपधारा (3) का परंतुक हटाया जायेगा !

6. छट्ठी अनुसूची का विलोपन - मूल अधिनियम की छट्ठी अनुसूची का विलोपन किया जायेगा !

23/12/04

(बी.के0 बंसल)
संयुक्त सचिव (विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)